भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 47/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 07 दिसम्बर, 2022

विषयः 15.12.2022 से परिशिष्ट 4द में अतिरिक्त निर्यात मदों को शामिल करने के संबंध में।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 15.12.2022 से किए गए निर्यात हेतु विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 4.59 के तहत **संशोधित** परिशिष्ट 4द को अधिसूचित करती है।

2. दिनांक 15.12.2022 से 30.09.2023 तक किए गए निर्यात हेतु यह **संशोधित** परिशिष्ट 4द लागू होगा। विदेश व्यापार नीति 2015–20 (समय समय पर यथा– **संशोधित**) के पैरा 4.54 के अनुसार स्कीम का पालन करने हेतु बजटीय प्रारूप, आव यक परिवर्तन और सं ोधन बाद में किए जाएंगे।

3. **संशोधित** आरओडीटीईपी परिशिष्ट 4द, जिसमें पात्र आरओडीटीईपी निर्यात मदें, दरें और प्रति इकाई उच्चतम मूल्य सीमाएं, जहां भी लागू हों, 'रेग्यूलेटरी अपडेट्स> आरओडीटीईपी' लिंक के अंतर्गत डीजीएफटी के पोर्टल www.dgft.gov.in पर उपलब्ध है।

इस अधिसूचना का प्रभावः अध्याय 28, 29, 30 और 73 में अतिरिक्त निर्यात क्षेत्रों/मदों को दिनांक 15.12.2022 से किए गए निर्यात हेतु आरओडीटीईपी के तहत परिशिष्ट 4द में शामिल किया जा रहा है और यह 30.09.2023 तक लागू होगा।

संतोष कुमार सारंगी
7.12.2022
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/61/180/155/एएम–21/पीसी–3 से जारी)